न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 117/2016/75 एलआर एक्ट

हरपत पुत्र टोडाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. भगतराम पुत्र फुलाराम जाति बैनीवाल जरिये अध्यक्ष श्रीराम सागर गौशाला नेठराना तहसील भादरा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 18.12.2001 बअनवानी स्टेट बनाम श्रीरामसागर गौशाला नेठराना तहसील भादरा

उपस्थित :–

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–15.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष श्रीरामसागर गौशाला नेठराना के सचिव द्वारा रोही मौजा चक 5 एनटीआर के खाता सं. 2/2 की 2.378 है0 गौशाला के नाम आरक्षित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश के जरिये भूमि आरक्षित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किन्ही नियमो के कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना मे जोहड़ भूमि को गौशाला के लिये कतई गलत तौर से आरक्षित किया है। जबकि उक्त भूमि मे काफी गहरा जोहड़ा है जिसमे आस पास के 12 गांवो के मवेशी पानी पीते रहे है। विचारण न्यायालय ने धारा 16 आरटीए से प्रतिबंधित भूमि

जोहड़ पायतन को कतई गैरकानूनी ढंग से आरक्षित किया तथा द्वितीय विचारण न्यायालय को जोहड़ भूमि 10 बीघा को आरक्षित करने का कोई क्षेत्राधिकार हासिल नही था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 की धारा 16 के तहत तालाब/जोहड़ जिसका पानी किसी गांव के लिये पाने का पानी किसी जलाशय या टांके मे बहकर जाता है जो इस कार्य के लिए पृथक रख ली गई हो या जो कलक्टर की राय मे इस कार्य के लिए आवश्यक है तथा राज्य सरकार के अधिसूचना के बिना कोई परिवर्तन नही किया जा सकता है तथा धारा 16(11) एवं 16(14) की भूमि को आरक्षित राज्य सरकार की अधिसूचना के बिना विचारण न्यायालय आरक्षित करने मे सक्षम नही है द्वितीय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अब्दुल रहमान बनाम स्टेट आदि डीएनजे 2004(3)राज0 पेज 1245 मे हेल्ड किया है कि दिनांक 18.07.2003 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को निर्देश दिये कि जलागाय क्षेत्र जो कि खनन तथा विनिर्माण मे प्रयुक्त हो रहा है उसमे सर्वे कराये राज्य सरकार ने विशेषज्ञ समिति गठित की उस विशेषज्ञ समिति ने सर्वे किया तथा उच्च न्यायालय को रिर्पोट की समिति ने जलागम क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप तथा प्रयोग मे पुनः स्थापित करने के लिए सुझाव दिये निर्णित किया कि राज्य सरकार को निर्देश दिये कि समिति की सिफारिशो पर विचार करें तथा जलागम क्षेत्रो को उनके मूल स्वरूप मे स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए तैयार करें।

4. विचारण न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय के अवहेलना मे जलागम व उसके प्रभावी क्षेत्र का नष्ट करने किस्म तब्दील करने तथा अतिक्रमित करवाने के लिए रेस्पो0 श्रीरामसागर गौशाला नेठराना को विधि विरूद्ध भूमि को आरक्षित किया है। अपीलांट को पूर्व मे अपीलाधीन आदेश का कोई ज्ञान नही था प्रार्थी ने मु0न0 56 के कि0न0 17 से अपने कि0न0 18 मे स्थित ढाणी मे प्रवेश करता है तब प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन किया कि रेस्पो0 उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर रहे है। तब उन्होने ने विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो. कोई तथ्य रखे जिसमे उक्त आरक्षित भूमि का जिक्र किया था निर्णय प्रति दिनांक 11.05.16 बअनवानी हरपत बनाम राजेन्द्र मिलने पर अपीलांट को उक्त समस्त तथ्यों का ज्ञान हुआ। इसलिए अपील अपीलांट ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावें। अपीलांट अपीलाधीन आदेश मे दौरान

पक्षकार नही था परन्तु अपीलांट उक्त आदेश व्यथित व्यक्ति है इसलिए धारा 96 सीपीसी के तहत बतौर तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत कर रहा है। अध्रिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे डीएनजे 2004(3)राज0 पेज 1245 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपील को मियाद बाहर होना बताकर निरस्त करने का निवेदन किया तथा बहस में यह कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलार्थी द्वारा बताये गये है उन कारणो के आधार पर विलम्ब को क्षमा नही किया जा सकता इसलिये अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा बहस में निवेदन किया कि मियाद के बिन्दु के अतिरिक्त अपील के अन्तर्गत जो भी बिन्दु उठाये गये है वे कतई आधारहीन है। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत भूमि आरक्षित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश होने पर तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार विवादित भूमि जोहड़ भूमि है मौका पर जोहड़ की भूमि ग्राम नेठराना के रामसागर गौशाला के कब्जा मे है। इस भूमि पर किसी प्रकार का विवाद नही है। ग्राम पंचायत नेठराना द्वारा भी उक्त भूमि रामसागर गौशाला को अलॉट किये जाने बाबत सहमति दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर दस्तावेजात के आधार पर अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त भूमि आरक्षित की है। जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का

प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि विवादित भूमि चक 5 एनटीआर के खाता सं. 2/2 के मु0न0 122 की 2.378 है0 भूमि जोहड़ पायतन की भूमि है जिसका अंकन तहसीलदार रिपोर्ट मे भी किया है। जोहड़ पायतन की भूमि प्रतिबंधित है तथा जोहड़ पायतन भूमि को आवंटित करने की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को नही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अब्दुल रहमान बनाम स्टेट आदि डीएनजे 2004(3)राज0 पेज 1245 मे वर्णितानुसार दिनांक 18.07.2003 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को निर्देश दिये कि जलागाय क्षेत्र जो कि खनन तथा विनिर्माण मे प्रयुक्त हो रहा है उसमे सर्वे कराये राज्य सरकार ने विशेषज्ञ समिति गठित की उस विशेषज्ञ समिति ने सर्वे किया तथा उच्च न्यायालय को रिर्पोट की समिति ने जलागम क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप तथा प्रयोग मे पुनः स्थापित करने के लिए सुझाव दिये निर्णित किया कि राज्य सरकार को निर्देश दिये कि समिति की सिफारिशो पर विचार करें तथा जलागम क्षेत्रो को उनके मूल स्वरूप मे स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए तैयार करें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय के अवहेलना मे रेस्पो0 श्रीरामसागर गौशाला नेठराना को भूमि को अपीलाधीन आदेश के जरिये आरक्षित किया है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2001 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ